अभ्यर्थियों द्वारा पालन करने योग्य महत्त्वपूर्ण अनुदेश

1. भारतीय वायु सेना में आपके भर्ती से पूर्व आपकी पुनः चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

2. यदि आपको 'स्टेण्ड बाई' उम्मीदवार के रूप में बुलाया गया है, तो आपकी भर्ती संबंधित ग्रुप/ट्रेड में मुख्य उम्मीदवारों की कमी, रिक्तियों की उपलब्धता और भर्ती की तिथि पर आपकी चिकित्सा उपयुक्तता पर निर्भर करेगी।

3. आपको अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज की मूल प्रति एवं छायाप्रति लानी होगी–

(a) मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ तीन छाया प्रतियाँ तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के मूलप्रति के साथ इनकी तीन छाया प्रतियाँ। ग्रप "X" के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के अभ्यर्थियों को उपरोक्त प्रमाण पत्र के अलावा स्नातक/स्नात्तकोत्तर (जो लागू हो) एवं शिक्षा स्नात्तक (बी एड) डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र का मूल प्रति के साथ तीन छाया प्रतियाँ लानी होगी।

(b) 'वायुसेना कार्मिक के पुत्र' से संबंधित एसओएएफपी प्रमाण पत्र के मूल प्रति एवं तीन छाया प्रतियाँ और एनसीसी मूल प्रमाण पत्र के साथ तीन छाया प्रतियाँ, यदि लागू हों।

(c) राजपत्रित अधिकारी/पंचायत अधिकारी/विद्यालय–प्रधानाचार्य (यदि पिछले 01 वर्ष के दौरान अध्ययन किये हो) / महाविद्यालय प्रधानाचार्य (यदि पिछले एक वर्ष के दौरान अध्ययन कर रहे / किये हो) द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र छः मास से पहले का हस्ताक्षरित न हो और इस पर जारी करने वाले अधिकारी की मुहर लगी हो।

(d) सामने की ओर चेहरा किये हुए अपने नवीनतम रंगीन फोटो की अप्रमाणित 17 प्रतियाँ (तीन महीने से अधिक पुरानी न हों जिनमें से छः प्रशिक्षण संस्थान के लिये हैं) जो खुले कॉलर शर्ट में बिना टोपी के ली गई हों। **केवल सिख अभ्यर्थियों जिनका धर्म केश काटने अथवा दाढ़ी बनाने का निषेध करता है, को केश बढ़ाने और / अथवा दाढ़ी और मूंछ रखने की अनुमति होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को नामांकन के पश्चात् बाद के स्तरों में दाढ़ी/मूंछ बढ़ाने/बनाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मामले में किसी भी उम्मीदवार को बिना मूंछ के दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, किसी भी धर्म अथवा विश्वास पर विचार नहीं किया जायेगा।**

(e) माता–पिता अथवा कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त फोटो (साइज 3"x2") की 7 अप्रमाणित प्रतियाँ।

(f) माता–पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित सम्मति पत्र (संलग्न) और राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित यदि आपकी आयु अठारह वर्ष से कम है।

(g) आपके नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि नौकरी करते हैं, (नीचे टिप्पणी–1 देखें)

(h) बैंक खाता विवरण (कार्यग्रहण अनुदेश में जैसे वर्णित है), पैन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पत्र (यदि उपलब्ध हो)।

(j) हल्का बिस्तर और व्यक्तिगत कपड़े। 45 दिनों की आवश्यकता पूर्ति (भोजन व रहने के अतिरिक्त) के लिये नकदी।

(k) आपको अपना स्थायी आवासीय पता ठीक से अवश्य ज्ञात हेना चाहिये। आपको निम्नानुसार संबंधित विवरण लाने की सलाह दी जाती है–

(i)	मकान संख्या/नाम	(ii) स्थान/गली	(iii) नगर/ग्राम
(iv)	पुलिस थाना/चौकी संख्या	(v) डाकघर व तार घर	(vi) जिला
(vii)	प्रदेश	(viii) पिन कोड	(ix) नजदीकी रेलवे स्टेशन (जहाँ मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ ठहरती हैं और आरक्षण सुविधा उपलब्ध है)
(x)	गृह नगर से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक की दूरी		

(l) बिना डाक टिकट के अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा

(m) दिल्ली क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की साफ्ट कॉपी को संबंधित वायु सेना चयन केन्द्र जहाँ से Phase-2 पास किये हैं को ई–मेल आईडी पर भेजनी है (चयन केन्द्रों के ई–मेल आईडी क्रम संख्या (iv) में दी गई है) :–

(i) आवेदक की फोटो (JPeg फॉरमैट में 20Kb से कम)

(ii) फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (JPeg या PDF फॉरमैट में 200Kb से कम)

(iii) आवासीय पता का प्रमाण जैसे पासपोर्ट/बिजली बिल/टेलीफोन बिल(लैंडलाइन)/राशन कार्ड/बैंक पास बुक/यूटिलिटी बिल/रैंट एग्रीमेंट (JPeg या PDF फॉरमैट में 200Kb से कम)

(iv) सभी चयन केन्द्रों का ई–मेल आईडी निम्न है:–

ASC	Email-ID	ASC	Email-ID	ASC	Email-ID
1 ASC	co.1asc-hr@gov.in	6 ASC	co.6asc-mh@gov.in	11 ASC	co.11asc-as@gov.in
2 ASC	co.2asc-de@gov.in	7 ASC	co.7asc-ka@gov.in	12 ASC	co.12asc-ap@gov.in
3 ASC	co.3asc-up@gov.in	8 ASC	co.8asc-tn@gov.in	14 ASC	co.14asc-kr@gov.in
4 ASC	co.4asc-wb@gov.in	9 ASC	co.9asc-od@gov.in	15 ASC	co.15asc-mp@gov.in
5 ASC	co.5asc-rj@gov.in	10 ASC	co.10asc-br@gov.in		

(n) अभ्यर्थियों को भरा हुआ "P5 इन्फारमेशन शीट लाना है जो वेबसाइट www.airmenselection.cdac.in पर "Candidate" - PSL/ Enrolment List - टैब के अन्तर्गत "Additional Information for candidate called for enrolment शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है।'' सभी क्षेत्र अनिवार्य रूप से भरने हैं। सभी अभ्यर्थियों को भरा हुआ **"P5 इन्फारमेशन शीट"** संबंधित वायु सेना चयन केन्द्र जहाँ से Phase-2 पास किये हैं को ई–मेल द्वारा उपरोक्त ई–मेल आईडी {पारा संख्या (3) (m) (iv) } पर भी दिनांक 30 जनवरी 2021 तक भेजना आवश्यक है।

(o) अभ्यर्थियों को वेबसाई www.airmenselection.cdac.in पर टैब Candidate - PSL/ Enrolment List - के अन्तर्गत "Additional Information for candidate called for enrolment शीर्षक से उपलब्ध " Covid-19 undertaking भरकर लाना होगा।

(p) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक/अपील चिकित्सा परीक्षा के दौरान जारी उनके **चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र (ग्रीन कार्ड)** को नामांकन के लिये रिपोर्ट करते समय लाना अनिवार्य है।

(q) Covid-19 स्थिति को देखते हुए, नामांकन स्थल के आस–पास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उनके ई–काल लेटर में बताये गये स्थान पर नामांकन के लिये रिपोर्ट करने के समय अपने माता–पिता/अभिभावकों को साथ न लायें।

(r) Covid-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नामांकन के लिये रिपोर्ट करते समय सभी सावधानियाँ/बचाव अपनायें जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी का ध्यान रखना इत्यादि।

(s) Covid-19 की स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/परामर्शो का कड़ाई से पालन करें।

(t) रिर्पोटिंग के समय अभ्यर्थियों को वैध पहचान पत्र और प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ ही भारतीय वायु सेना चयन केन्द / प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

(4) आपके आसन्न प्रशिक्षण का कुछ विवरण नीचे दिया गया है–

(a) ज्वाइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग (जे बी पी टी) की अवधि 24 सप्ताह की है। जे बी पी टी की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात जे बी पी टी में आपके प्रदर्शन, ट्रेड के लिये चिकित्सकीय योग्यता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर आपको ट्रेड आवंटित किया जायेगा।

(b) आपको तब तक पूर्णतः वायुसैनिक नहीं माना जायेगा जब तक आप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर लेते, आवश्यक अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते और उत्तीर्ण करने के पश्चात आपको प्रमाणित नहीं कर दिया जाता।

(c) प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है यदि शैक्षिक अथवा शारीरिक योग्यता अथवा अनुशासन में आपका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है अथवा आपको चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है अथवा यह पाया जाता है कि आपके भर्ती या प्रशिक्षण के दौरान गलत सूचना दी है।

(d) विहित कुल प्रशिक्षण काल की अवधि की गणना परिवीक्षा काल के रूप में होगी।

(e) यदि आपको प्रशिक्षण के दौरान सेवा मुक्त किया जाता है तो आप भूतपूर्व सैनिक को मिलने वाली सुविधाओं के अधिकारी नहीं होंगे। प्रशिक्षण के दौरान आपके प्रदर्शन के लिये आपको कोई मूल्यांकन भी नहीं दिया जायेगा क्योंकि प्रशिक्षण समाप्त किया जा चुका है।

(f) नामांकन और प्रमाणन के बीच की अवधि के दौरान आप वायु सेना नियमों के अधीन होंगे जिसमें वायु सेना अधिनियम, वायु सेना नियम, वायु सेना के लिये विनियम और विभिन्न स्थानीय/सामान्य आदेश जो भी लागू हों, सम्मिलित हैं।

(g) प्रशिक्षण के दौरान आपको उच्च शैक्षिक योग्यता में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि इससे प्रशिक्षण में कमी आ सकती है जिसका परिणाम प्रशिक्षण की समाप्ति हो सकता है। तथापि, आपको अधिकतम 7 दिन का अवकाश लेकर एनडीए/सीडीएस परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति होगी यदि इसका आवेदन आपने वायु सेना में सेवाग्रहण से पूर्व किया हो।

(h) जेबीपीटी प्रशिक्षण कठोर है आपको सलाह दी जाती है कि आप ए एस सी (चयन केन्द्र) / प्रशिक्षण केन्द्र में पहुँचने से पूर्व ही अपने शारीरिक सहन शक्ति को बनायें।

टिप्पणी 1 – यदि आप पूर्व में ही अन्य सरकारी संगठन में सेवारत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा। यदि आपको योग्य पाया जाता है और भर्ती के लिये उचित घोषित कर दिया जाता है, तो आपको पहले नियोक्ता से 10 दिन के अन्दर सेवामुक्ति की औपचारिकतायें पूरी करने के लिये वापस भेज दिया जायेगा। वायु सेना चयन केन्द्र / भर्ती स्थल छोड़ने के 10 दिन के भीतर आपके द्वारा सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र देने पर आपका भर्ती अगली तिथि पर कर दिया जायेगा। 10 दिनों के भीतर सेवामुक्ति प्रमाण पत्र न देने पर आपका अनुक्रमांक के समक्ष आपका अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

टिप्पणी 2 – शरीर पर स्थायी गोदना की अनुमति नहीं है, तथापि अग्रबाहु (कोहनी से लेकर हथेली तक) के अन्तः पृष्ठ, हाथ के पीछे (पृष्ठस्थ)/हथेली के पिछले भाग और गोदना वाली जनजातियों पर जो केवल उनकी जनजातीय रीति और परम्पराओं के अनुसार हों, पर गोदना की अनुमति है। तथापि, अभ्यर्थी की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता पर निर्णय का अधिकार चयन केन्द्र के पास होगा।

टिप्पणी 3 – समान तिथि पर प्रकाशित एक से अधिक पी एस एल में प्रदर्शित अभ्यर्थियों को भारतीय वायु सेना की आवश्यकता के आधार पर केवल एक ग्रुप/ट्रेड में भर्ती के लिये बुलाया जायेगा। समान तिथि को प्रकाशित एक से अधिक पी एस एल में प्रदर्शित अभ्यर्थी को किसी भी ट्रेड/ग्रुप के आवंटन का अधिकार अध्यक्ष, केन्द्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है। यदि अभ्यर्थी उस ग्रुप/ट्रेड में भारतीय वायु सेना में सेवा ग्रहण में अनिच्छा दर्शाता है अथवा अनुपस्थित रहता है जिसके लिये नामांकन हेतु उसे बुलाया गया है, तो उसकी अभ्यर्थिता सभी मौजूदा पी एस एल के लिये स्वतः समाप्त हो जायेगी।

टिप्पणी–4 केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड, नई दिल्ली से टेलिफोन नंबर 011–25694209 / 25696606 पर एक सहायता केन्द्र दिनांक 01 फरवरी 2021 से भर्ती प्रक्रिया पूरा होने तक सुबह 0800 बजे से रात्रि 2000 बजे तक कार्यात्मक होगा, जो बुलाये गये अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों को संबोधित एवं सहायता प्रदान करेगा।

टिप्पणी–5 वे उम्मीदवार जिन्हें वायुसैनिक चयन केन्द्र पर भर्ती किया जाएगा, उन्हे भर्ती के तीन दिन के अंदर कॉल लेटर/भर्ती सूची में दिए गए प्रशिक्षण केन्द्र पर अपनी व्यवस्था से पहुँचना होगा। भर्ती कि प्रक्रिया में पूरे दिन का समय लग सकता है अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के अगले दिन का अपना आरक्षण पर्याप्त समय पूर्व करा लें। प्रशिक्षण केन्द्र पर टिकट प्रस्तुत करने पर वायुसैनिक चयन केन्द्र से प्रशिक्षण केन्द्र तक के पात्र श्रेणी के बस/रेल के किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।